दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२९१ वा | बुधवार २१ मे २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

बीड में तिरंगा रैली में शामिल हों-राहुल सोनवणे का आह्वान

बीड, २० मई: कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि देने और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर बीड शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आवाहन बीड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल सोनवणे ने किया है।

'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए शौर्य को सलाम करने और आतंकवादी हमले में शहीद हुए नागरिकों व जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के उद्देश्य से बुधवार, २१ मई २०२५ को पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस दिन को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। यह निर्णय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लिया गया है और यह अभियान प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। बीड शहर में यह तिरंगा रैली बुधवार को सुबह ११ बजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर शुरू होगी और कांग्रेस भवन पर इसका समापन होगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल सोनवणे ने नागरिकों से इस तिरंगा रैली में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की है।

वक्फ कानून में किए गए सभी संशोधन असंवैधानिक, वक्फ कोई सेक्युलर मामला नहीं बल्कि एक धार्मिक विषय है

सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की जोरदार दलील

नई दिल्ली से एक रिपोर्ट –
नई दिल्ली, २० मई: केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ संशोधन कानून २०२५ के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होने से पहले ही उस समय विवाद खड़ा हो गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पिछली सुनवाई में यह तय हुआ था कि केवल तीन बिंदुओं पर बहस होगी, लेकिन आज याचिकाकर्ता पूरी याचिका पर सुनवाई की मांग कर रहे हैं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने स्पष्ट कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम पहले भी पूरी याचिका पर बहस के लिए तैयार थे और आज भी हैं। हमारा विरोध कानून के सभी संशोधनों पर है।

सॉलिसिटर जनरल ने परोक्ष रूप से मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया कि वे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व सुनवाइयों में केवल तीन मुद्दों पर ही अंतरिम स्थगन की बात हुई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गोई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अदालत के रिकॉर्ड में जो दर्ज है, सुनवाई उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को दो घंटे बहस का समय दिया गया है, अतः उन्हें अपनी बात रखने दी जाए।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गोई और न्यायमूर्ति जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संसद द्वारा पारित किसी कानून को वैध माना जाता है और सामान्यतः अदालतें ऐसे मामलों में स्थगन (स्टे) नहीं देतीं जब तक कि मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन न हुआ हो।

इस पर कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इस कानून में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और यह मामला सामान्य नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव देश के मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर पड़ेगा। उन्होंने

जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से बहस करते हुए कहा कि यह संशोधन पूरी तरह असंवैधानिक हैं, क्योंकि सरकार द्वारा यह धार्मिक मामलों में सीधी दखलंदाजी है और वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण पाने की एक सुनियोजित कोशिश है।

मुस्लिम होने की शर्त और गैर-मुस्लिमों की भागीदारी पर आपत्ति

सिब्बल ने बताया कि संशोधित कानून में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम पर संपत्ति वक्फ तभी कर सकता है जब वह कम-से-कम पाँच वर्षों से मुसलमान हो, इबादत करता हो और इस्लामी जीवन पद्धति का पालन करता हो। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कौन तय करेगा और कैसे? कानून में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति की गई है, जिससे अब वहां गैर-मुस्लिम बहुमत में होंगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह वक्फ बोर्डों में भी अब गैर-मुस्लिम सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि पहले सभी सदस्य मुस्लिम होना आवश्यक था।

अन्य धर्मों के संस्थानों की मिसाल

सिब्बल ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि जैसे हिंदू धार्मिक संस्थानों में केवल हिंदुओं की नियुक्ति होती है, वैसे ही वक्फ एक मुस्लिम धार्मिक संस्था है और इसमें गैर-मुस्लिमों की भागीदारी न तो व्यावहारिक है और न ही संवैधानिक। उन्होंने कहा कि वक्फ कोई सेक्युलर विषय नहीं है, बल्कि यह एक शुद्ध धार्मिक मसला है।

सीईओ और ट्रिब्यूनल प्रणाली पर सवाल

कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि पहले वक्फ बोर्ड का सीईओ केवल मुस्लिम होता था, अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है, जिससे गैर-मुस्लिम सीईओ नियुक्त किए जा सकते हैं। यह अत्यंत चिंताजनक और धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है।

ट्रिब्यूनल प्रणाली पर उन्होंने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति पर कलेक्टर निर्णय देता है, तो मुतवली को ट्रिब्यूनल में जाकर यह सिद्ध करना होगा कि संपत्ति वक्फ है। इस प्रक्रिया में वक्फ संपत्तियों का मूल उद्देश्य समाप्त हो सकता है क्योंकि सरकार उसका इस्तेमाल अपने लिए करने लगेगी।

वक्फ बाय यूज़र पर संशोधन और खतरा

उन्होंने बताया कि यदि किसी वक्फ बाय यूज़र संपत्ति पर कोई तीसरा पक्ष दावा करता है, तो जब तक मामला अदालत में चलता है, वह संपत्ति सरकारी कब्जे में चली जाएगी और वक्फ की मान्यता समाप्त मानी जाएगी।

ऑनलाइन पंजीकरण और दंडात्मक कार्रवाई

सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि यदि छह महीने के भीतर वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया गया, तो मुतवली को जेल हो सकती है। उन्हें यह भी दर्ज करना होगा कि संपत्ति कब और किसने वक्फ की, जो कि सदियों पुरानी संपत्तियों के लिए संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह सभी प्रावधान वक्फ संपत्तियों के दमन और नियंत्रण की नीति के तहत लाए गए हैं, और अदालत को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अगली सुनवाई में बहस जारी रहेगी।

मुंबई: छगन भुजबळ ने ली मंत्रीपद की शपथ, जयदत्त क्षीरसागर ने भेंट कर दी शुभकामनाएं

मुंबई, मंगलवार: वरिष्ठ नेता छगन भुजबळ ने मंगलवार को राजभवन में मंत्रीपद की शपथ ली। शपथग्रहण के बाद पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने उनसे मुलाकात कर उन्हें अभिनंदन दिया और आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर सुभाष राऊत और हर्षद क्षीरसागर भी उपस्थित थे।

बीड़ में पीस फाउंडेशन की ओर से जिलाधिकारी से भेंट, "Islam: The Ultimate Art of Living' पुस्तक भेंट

बीड़ से रिपोर्ट

बीड़, २० मई २०२५ (मंगलवार): बीड़ के बार्शी नाका स्थित बींदू सरा पुल के निर्माण कार्य के सिलसिले में हो रहे सर्वेक्षण के अवसर पर पीस फाउंडेशन बीड़ की ओर से डॉ. मोहम्मद सफी अनवरी और काज़ी ग़ौस मोहिउद्दीन ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की।

इस मौके पर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अरशद शेख की पुस्तक Islam: The Ultimate Art of Living को जिलाधिकारी महोदय को एक उपहार स्वरूप भेंट किया गया। डॉ. सफी अनवरी ने पुस्तक की सामग्री पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए उन्हें पुस्तक के विमोचन समारोह में आमंत्रित किया।

जिलाधिकारी महोदय ने सादगी और प्रसन्नता के साथ निमंत्रण को स्वीकार किया और कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आश्वासन भी दिया।

बिंदुसरा नदीपात्र में सफाई व गहरीकरण कार्य का शुभारंभ, बीड़ शहर की जलस्तर में होगी वृद्धि: विधायक संदीप क्षीरसागर की निधि से २५ लाख की तात्कालिक मंजूरी

बीड़, २० मई (प्रतिनिधि): बीड़ शहर से होकर बहने वाली बिंदुसरा नदी के पात्र में सफाई और गहरीकरण के कार्य का शुभारंभ विधायक संदीप क्षीरसागर और जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन के हाथों किया गया। इस अवसर पर नदीपात्र में कार्य की प्रत्यक्ष शुरुआत भी की गई। प्रशासन का मानना है कि इस गहरीकरण से बीड़ शहर के जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी।

नगरपालिका बीड़ की ओर से यह कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ किया गया है। शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक संदीप क्षीरसागर के साथ जिलाधिकारी विवेक

जॉन्सन, पूर्व विधायक सय्यद सलीम, नगरपालिका प्रशासक व उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, मुख्याधिकारी नीता अंधारे, नायब तहसीलदार सुहास हजारे समेत कई अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक उपस्थित थे। कार्य की पूर्णता और प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए जब जिलाधिकारी ने आर्थिक प्रावधान का मुद्दा उठाया, तो विधायक संदीप क्षीरसागर ने तत्काळ अपनी विधायक निधि से २५ लाख रुपये की स्वेच्छिक सहायता मंजूर कर कार्य के लिए प्रदान की। प्रशासन और नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि बिंदुसरा नदी के गहरीकरण से शहर में जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी और पानी की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी।

आख़िरकार छगन भुजबळ की मंत्रिमंडल में 'घरवापसी', धनंजय मुंडे का विभाग सौंपा गया

जरांगे-पाटील और अंजली दमानिया का भुजबळ पर तीखा हमला

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

मुंबई, २१ मई: बीते छह महीनों से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता छगन भुजबळ की महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में घरवापसी हो गई है। उन्होंने आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली और उन्हें अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस कोटे से रिक्त था।

शपथग्रहण के बाद प्रतिक्रिया देते हुए भुजबळ ने कहा, जिसका अंत अच्छा, वही सब अच्छा। जो हुआ, सो हुआ। अब किसी के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उपमुख्यमंत्रियों अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया।

मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक रणनीति

पिछले छह महीनों में महायुती सरकार का यह तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। छगन भुजबळ को ओबीसी समुदाय के वरिष्ठ नेता के रूप में पहचाना जाता है और माना जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में सरकार को संभावित नुकसान से बचाने की कोशिश की गई है।

गौरतलब है कि सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी से संबंध, भ्रष्टाचार के आरोप और पारिवारिक न्यायालय के

फैसले के कारण धनंजय मुंडे को बजट सत्र के पहले दिन इस्तीफा देना पड़ा था। उनका विभाग अब भुजबळ को सौंपा गया है।

जरांगे-भुजबळ विवाद फिर गरमाया

भुजबळ की वापसी पर मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे-पाटील ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, अजित पवार जातिवादी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

इसके जवाब में छगन भुजबळ ने पलटवार करते हुए कहा, जरांगे ने ही मराठा समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। उनकी हरकतों की वजह से गांव-गांव में विवाद हुआ। मराठा समाज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भाईचारा है, लेकिन जरांगे की राजनीति ने समाज को नुकसान पहुँचाया।

एक भ्रष्ट गया, दूसरा आ गया - अंजली दमानिया का तंज

सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने भी भुजबळ की वापसी पर नाराज़गी जताते हुए कहा, सरकार ने एक भ्रष्ट नेता को हटाकर दूसरे भ्रष्ट नेता को जगह दे दी। यह बदलाव सिर्फ चेहरा बदलने जैसा है, न कि नीति या नीयत बदलने जैसा।

निष्कर्ष:

छगन भुजबळ की मंत्रिमंडल में वापसी से जहां पार्टी में एक नाराज़ नेता को शांत किया गया है, वहीं जरांगे-पाटील और सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि यह फैसला आगे राजनीतिक व सामाजिक बहस को और हवा दे सकता है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

cmyk

दैनिक भारत कि तामीर

विविधा

बुधवार २१ मे २०२५

महाराष्ट्र देश की स्टार्टअप राजधानी बन चुका है-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों 'स्टार्टअप कॉन्क्लेव २०२५' का उद्घाटन, इनोवेशन सिटी और एज्यु-सिटी की घोषणा

मुंबई, २० मई: जमीर काजी

महाराष्ट्र स्टार्टअप और निवेश के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने १२० करोड़ रुपये का 'फंड ऑफ फंड्स' स्थापित किया है, जिससे मार्केटेबल और स्केलेबल स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नेस्को सेंटर, गोरेगांव, मुंबई में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव २०२५ के उद्घाटन समारोह में दी।

कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, एनआईओ के निदेशक प्रो. सुनील कुमार सिंह, एनसीएल के निदेशक डॉ. आशीष लेले, नीरी के निदेशक डॉ. एस. वेंकट मोहन, स्टार्टअप प्रतिनिधि, छात्र और उद्यमी शामिल थे।

मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं और बातें:

महाराष्ट्र को मिला ७०१ किलोमीटर का समुद्री तट, जिससे मरीन इकोनॉमी और सतत विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं।

मरीन रोबोटिक्स, कचरा प्रबंधन, और सतत तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।

जल प्रदूषण का ९०% कारण आम नागरिकों द्वारा उत्पन्न कचरा, जिसे तकनीक से नियंत्रित किया जा सकता है।

नवी मुंबई में ३०० एकड़ में देश की सबसे आधुनिक 'इनोवेशन सिटी' का निर्माण कार्य जारी, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक, डेटा साइंस व मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी स्टार्टअप्स को स्थान मिलेगा।

इसके अलावा १२ अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ एक 'एज्यु-सिटी' भी बनाई जाएगी, जहां १ लाख छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और निकट भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप शक्ति बनेगा।

स्टार्टअप क्रांति छोटे शहरों से उभर रही है: डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी १२ से १४ घंटे काम करके भी संतोषजनक आय नहीं पा रही, जबकि कुछ बिना डिग्री के भी आगे बढ़ रहे हैं। इस सोच ने स्टार्टअप संस्कृति को जन्म दिया है।

भारत ८१वें से सीधे ३९वें स्थान पर पहुंचा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में।

देश में करीब २.५ लाख स्टार्टअप्स हैं, जिनमें ४९% छोटे शहरों से - जैसे सूरत, अमृतसर, चंडीगढ़ आदि से हैं।

अब तक देश में ६४,४८० पेटेंट दर्ज, जिनमें से ५६% भारतीयों द्वारा भारत में ही दाखिल किए गए हैं।

छखउक्कख, निधि योजना जैसे कार्यक्रमों से तकनीकी, आर्थिक व मार्गदर्शन सहायता दी जा रही है।

वृद्ध और दिव्यांग नागरिकों को भी स्टार्टअप अवसरों में शामिल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कृषि-तकनीक, समुद्र आधारित संसाधन और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत की अगली २५ साल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है।

स्टार्टअप को 'जन आंदोलन' बनाने की तैयारी: मंगलप्रभात लोढ़ा

मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, लेकिन अब यह क्रांति शहरों से गांवों तक पहुँचना चाहिए।

ग्रामीण समस्याओं के समाधान में स्टार्टअप्स की भूमिका जरूरी।

सरकार नया स्टार्टअप नीति बना रही है, जो केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल करेगी।

'जन आंदोलन' के रूप में स्टार्टअप संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के निदेशकों ने भी नवाचार, अनुसंधान, और तकनीकी विकास पर प्रकाश डाला।

स्टार्टअप कॉन्क्लेव २०२५ के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि महाराष्ट्र और भारत वैश्विक स्टार्टअप मानचित्र पर तेजी से उभर रहे हैं। सरकार, विज्ञान संस्थान, और युवा उद्यमियों का यह साझा प्रयास, देश को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत २०४७ के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहा है।

नासिक: उत्तर महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से अब तक १२ लोगों की मौत, कई एकड़ फसलें बर्बाद

नासिक ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित, अगले ५ दिन और भारी बारिश का अलर्ट

नासिक, २० मई संवाददाता

उत्तर महाराष्ट्र में बीते दस दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने तबाही मचा दी है। अब तक १२ लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ७ की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। नासिक जिला इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां ५ लोगों की जान गई है।

नासिक राजस्व मंडल में आने वाले जिलों - नासिक, अहमदनगर, धुले, जलगांव और नंदुरबार - में बारिश और तेज़ हवाओं ने फसलों को व्यापक नुकसान पहुँचाया है। अहमदनगर और जलगांव जिलों में अंगूर और अनार के बाग़ानों को भारी क्षति हुई है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, नुकसान की अंतिम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।

मृतकों की संख्या और क्षेत्रवार विवरण:

नासिक: ५ मौतें (२ बिजली गिरने से)

अहमदनगर: ३ मौतें

नंदुरबार: २ मौतें (२ बिजली गिरने से)

धुले और जलगांव: १-१ मौत

मृतकों में कई नागरिक पेड़ गिरने, छत गिरने, और बिजली गिरने की घटनाओं में मारे गए हैं। इसके अलावा, दर्जनों लोग घायल हुए हैं और पशुधन, घर, गोदाम, पोल्ट्री फार्म सहित अन्य संपत्तियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है।

राजस्व विभाग ने मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नासिक कलेक्टर कार्यालय द्वारा सरकार को सहायता प्रस्ताव भेजा जाएगा।

बारिश के आँकड़े और भविष्यवाणी:

७ मई से शुरू हुई बेमौसम बारिश अब तक जारी है।

१९ मई तक १०३.३ मिमी वर्षा दर्ज की गई।

१० मई को सर्वाधिक ३३.८ मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई थी।

मौसम विभाग के अनुसार, २२ मई को अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे कम से कम ५ दिनों तक राज्य में भारी वर्षा हो सकती है।

मौसम विभाग ने आम नागरिकों और किसानों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन भी आपदा प्रबंधन के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है।

खतरे की घंटी?: 'हस्तक्षेप तब ही जब संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हो...'-चीफ जस्टिस ने खींची लक्ष्मण रेखा

नई दिल्ली,

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में अभियोजन और प्रतिवाद पक्ष की दलीलें सुनीं। पीठ में दूसरे न्यायाधीश जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह थे।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने संसद द्वारा पारित कानूनों की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से कहा, संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संविधान के अनुरूप माना जाता है। जब तक यह स्पष्ट न हो कि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, अदालतों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

केंद्र सरकार की अपील:

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को केवल तीन मुद्दों तक सीमित रखा जाए। इनमें प्रमुख रूप से:

१. वक्फ संपत्तियों को 'डी-नोटिफाई' करने का वक्फ बोर्ड को अधिकार,

२. वक्फ 'बाई यूज़र' (डू णीशी) का प्रावधान,

३. और अदालत द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण से जुड़े बिंदु शामिल हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की पीठ के समक्ष यह मांग रखी। उन्होंने कहा, अदालत ने तीन प्रमुख बिंदुओं की पहचान की थी, लेकिन याचिकाकर्ता इनसे इतर और भी मुद्दों को शामिल करना चाहते हैं। मैं केवल इन्हीं तीन मुद्दों पर हलफनामा दे चुका हूँ, कृपया इन्हीं पर सीमित रखा जाए।

कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का विरोध:

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, उन्होंने केंद्र के तर्क का विरोध किया। सिब्बल ने कहा, इस तरह की महत्वपूर्ण विधायिका को टुकड़ों में नहीं सुना जा सकता। संशोधित कानून संविधान के अनुच्छेद २५ का उल्लंघन करता है, जो नागरिकों को अपने धर्म के पालन, प्रचार और प्रचार प्रसार का अधिकार देता है।

कपिल सिब्बल ने कहा कि हम पूरे कानून पर बहस करेंगे, यह केवल तीन मुद्दों की बात नहीं है। यह वक्फ संपत्तियों को अपने अधीन करने की कोशिश है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले में अंतरिम आदेश पर भी सुनवाई होनी चाहिएश्र

यह मामला न केवल धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के नियंत्रण और उनके अधिकारों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट है कि जब तक किसी कानून में स्पष्ट असंवैधानिकता सिद्ध न हो, अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि बहस किन मुद्दों तक सीमित रखी जाएगी।

हाजी अब्दुस समद मोमिन बीजीपी अस्पताल शीघ्र शुरू किया जाए: लोक हिंद पार्टी की मांग

कुर्बानी सेंटर का निरीक्षण कर सड़कों की मरम्मत व समतलीकरण की अपील; कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन

भिवंडी (प्रतिनिधि): भिवंडी निजामपुर ४ज१ महानगर पालिका (बीएनसीएमसी) के कमिश्नर एवं प्रशासक अनमोल सागर को आज लोक हिंद पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हाजी अब्दुस समद मोमिन बीजीपी अस्पताल (भिवंडी पश्चिम) का शीघ्र उद्घाटन, कुर्बानी सेंटर के लिए समुचित व्यवस्था, संपत्ति कर वृद्धि पर स्पष्टीकरण, स्टेडियम सुधार, और शहर के पुराने क्षेत्रों के निरीक्षण सहित कई जनहित से जुड़ी मांगें रखी गईं।

ज्ञापन में रखी गईं प्रमुख मांगें:

१. हाजी अब्दुस समद मोमिन बीजीपी अस्पताल का तत्काल उद्घाटन

यह अस्पताल पावरलूम नगरी भिवंडी का एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र है, जिसका निर्माण हाजी अब्दुस समद मोमिन द्वारा निजी खर्च पर किया गया था। अब इसके जीर्णोद्धार के बाद भी उद्घाटन लंबित है। लोक हिंद पार्टी ने मांग की कि एक सप्ताह के भीतर इसे आम जनता के लिए खोला जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे खुद निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित करेंगे।

२. संपत्ति कर वृद्धि का विरोध

ज्ञापन में २७% संपत्ति कर वृद्धि की खबरों पर सवाल उठाए गए। पार्टी अध्यक्ष बदीउज्जमा खान ने कहा कि यदि यह सत्य है तो लोक हिंद पार्टी इसका विरोध करेगी। इस पर कमिश्नर अनमोल सागर ने स्पष्ट किया कि यह केवल अफवाह है और जनहित में ही निर्णय लिए जाएंगे।

३. कुर्बानी सेंटर और स्लॉटर हाउस की सड़कों का सुधार

कुर्बानी के मौके पर भिवंडी में लगने वाले स्लॉटर हाउस व कुर्बानी सेंटर के आसपास की सड़कें अत्यधिक खराब रहती हैं। पार्टी ने मांग की कि उन क्षेत्रों की समतलीकरण एवं सड़क मरम्मत की जाए।

४. भिवंडी के पुराने इलाकों का निरीक्षण

एडवोकेट यासीन मोमिन ने कहा कि शहर के कई पुराने क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर से व्यक्तिगत दौरा कर समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की।

पार्टी नेताओं की प्रतिक्रियाएं:

बदीउज्जमा खान (अध्यक्ष, लोक हिंद पार्टी) ने कहा:

हाजी अब्दुस समद मोमिन ने जो सेवाएं दीं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अस्पताल का शीघ्र उद्घाटन न केवल शहरवासियों की जरूरत है बल्कि दिवंगत समाजसेवी को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।

एडवोकेट यासीन मोमिन ने कहा:

भिवंडी के कई क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। प्रशासन को ज़मीनी हकीकत देखकर निर्णय लेना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख लोग:

बदीउज्जमा खान (अध्यक्ष, लोक हिंद पार्टी)

एडवोकेट यासीन मोमिन (वरिष्ठ वकील)

डॉ. यहया काजी

नसीम पटेल

एडवोकेट सरफराज अंसारी

मसूद मोमिन (युवा अध्यक्ष)

डॉ. शमीम अहमद खान

कमिश्नर अनमोल सागर का आश्वासन:

कमिश्नर ने ज्ञापन में रखी गई सभी बातों को गंभीरता से लेने और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि है, और कर वृद्धि की अफवाहों पर ध्यान न दें।

निष्कर्ष:

लोक हिंद पार्टी द्वारा उठाई गई ये मांगें न केवल जनस्वास्थ्य, बल्कि नागरिक सुविधाओं के व्यापक सुधार से जुड़ी हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मुद्दों पर कितनी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करता है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharash-tra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com

cmyk